न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चितौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– नारायण सिंह चारण, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 21 / 2016 (निगरानी पंचायत) **दायर दिनांक 13.06.2016**

विकास अधिकारी पचांयत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ

निगराकार / प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत सांखली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांखली, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री लक्षमणदास पिता नानुदास बैरागी, निवासी सांखली, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

–गैर निगराकार / (अप्रार्थीगण)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत सांखली पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी पट्टा संख्या 001566 दिनांक 13.06.1991

उपस्थित :– वकील निगराकार :– श्री नरेश शर्मा
वकील गैर निगराकारः– श्री नरेन्द्र कुमार नाहर, विपक्षी संख्या 2

निर्णय **दिनांक 22.03.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी द्वारा दिनांक 13.06.2018 को निगरानी प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत सांखली द्वारा दिनांक 13.06.1991 को तत्कालिन प्रशासक द्वारा विपक्षी संख्या 02 को नियम 158 के तहत् निःशुल्क पट्टा नियमो की अनदेखी करते हुए नियमों के विपरीत जारी किया गया। उक्त अवैधवता के कारण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत जारी पट्टा संख्या को निरस्त राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरण संख्या 0101527457969 दिनांक 03.12.2015 से दर्ज श्री मांगीलाल पिता श्री भवानीराम कीर निवासी सांखली ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार पालना निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा विपक्षी संख्या 02 श्री लक्ष्मणदास पिता नानूदास वैष्णव,

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

निवासी सांखली, पंचायत समिति राशमी के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 001566 जो पूर्व दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में पंचायत की पडत भूमि, उत्तर दिशा में रास्ता, एवं दक्षिण दिशा में अम्बालाल ब्राहमण के प्लॉट के पडोस के मध्य स्थित होकर 1200 वर्ग फीट 40X30 साईज जारी किया गया तथा कथित पट्टा विधि मान्य नियमों के विपरीत होने से काबिल आपत्ति के है। ग्राम सांखली के तत्कालीन प्रशासक द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में उपरोक्त पडोसान के मध्य स्थित आराजी नम्बर 841/357 में जारी पट्टा संख्या 01566 दिनांक 13.06.1991 को निरस्त किये जाने श्री सुरेश गंगानी, अधिशाषी अभियंता(ज.स.) जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा जांच कार्यवाही में उक्त पट्टे पंचायती राज नियमों की पालना किये बगेर जारी कर दिये गये जो निरस्त योग्य है। अतः उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण को विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

विपक्षी संख्या 02 ने दिनांक 31.01.2018 को जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 02 जाति से वैष्णव बैरागी होकर अन्य पिछडा वर्ग की जाति का होने से दिनांक 30.06.1991 को निःशुल्क पट्टा विधि सम्वत रूप से जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र में किन नियमों की अवहेलना हुई है उसका उल्लेख नही किया गया है। राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरण मांगीलाल कीर पिता श्री भवानी राम कीर निवासी सांखली द्वारा मुझ विपक्षी लक्ष्मणदास के निःशुल्क पट्टे के संबंध में कोई शिकायत प्रकरण दर्ज नही करयाया है। राजस्थान सम्पर्क पर किसी अन्य व्यक्ति की शिकायती प्रकरण के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का कोई आधार उल्लेख नही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में प्रशासक द्वारा पट्टा जारी करने का आधार लिखा जबकि पट्टा तत्कालिन ग्राम पंचायत सांखली द्वारा जारी किया। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्तनीय है। विपक्षी अन्य पिछडा जाति वर्ग

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

का होने से 1200 वर्ग फीट का होने से विपक्षी संख्या 01 द्वारा जारी किया जाना स्वीकार है। बकाया उल्लेखित तथ्य स्वीकार नही है। 26 वर्ष पूर्व विधि सम्मत रूप से तत्कालीन सरपंच द्वारा निःशुल्क पट्टा जारी किये जाने में किन नियमों की अवहेलना की गई है, उसका कोई उल्लेख नही है, मात्र विपक्षी को राजनैतिक समर्थित परिवार होने से वर्तमान सरपंच ने प्रार्थी विकास अधिकारी से मिलकर यह आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रसत्तुत कराया है। न्याय के प्रतिपादित सिंद्वान्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वैधानिक रूप से जारी पट्टे को अविधिसम्मत रूप से आधारहीन तथ्यों पर किसी अधिकारी विशेष की रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किए जाने का कोई प्रावधान ही है। इस प्रार्थना पत्र में विकास अधिकारी ने सुरेश गंगानी, अधिशाषी अभियंता चित्तौड़गढ़ द्वारा कार्यवाही का उल्लेख किया है जो पूर्णतया असत्य है। क्योंकि मुझ विपक्षी के विरूद्ध ग्राम पंचायत सांखली द्वारा जारी किये गये पट्टे के संबंध में कोई शिकायत श्री सुरेश गंगानी व जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत नही की है। जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा मुझा विपक्षी को कभी कोई सूचना पत्र नही दिया गया। सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। कोई पर्चा मौका एवं जांच नही की । इसके उपरान्त भी यह विधि विपरीत आधारहीन आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गयाहै। राजस्थान सम्पर्क पर अन्य व्यक्ति विशेष की शिकायत के आधार पर जांच रिपोर्ट पर मुझ विपक्षी लक्ष्मणदास को जारी किया गया पट्टा धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत निरस्त करने का कोई आधार नही है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने येाग्य है।

प्ररकण पर उभय पक्ष बहस सुनी गई जिसमें वकील निगराकार का कथन है कि गैर निगरकार श्री लक्षमण दास को दिनांक 13.06.1991 को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया। पंचायत द्वारा दिनांक 18.06.1991 को प्रस्ताव लिया गया। प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा 60 व्यक्तियों को पट्टा जारी करने हेतु लिया है। पंचायत नियमों के अनुसार न तो रिकोर्ड संधारित है, न मिसल संधारित है और न ही आवेदन पत्र है तथा पट्टा जारी करने के संबंध में कोई पात्रता के संबंधित जांच की गई है। कार्यवाही विवरण में

अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

हो चुका है। इतने अधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण नही दर्शाया गया है। अतः निगरानी प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित नहीं होती है का यह अर्थ नहीं है कि अत्यधिक विलम्ब से बिना किसी ठोस कारण के भी निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है जैसा कि अधिवक्ता गैरनिगराकार द्वारा प्रस्तुत पूर्व दृष्टांत में बताया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत निगरानी पर किसी ठोस आधार पर प्रस्तुत नही की गई है न ही युक्तियुक्त कारण दर्शाया गया है। अधिवक्ता नि. निगराकार द्वारा दौराने बहस बताया था कि विकास अधिकारी, राशमी की जांच रिपोर्ट पत्रांक/पसरा/2015–16/212 दिनांक 10.02.2016 में दर्शाया गया कि पट्टा निर्माण स्थल का नही होने से भी हम सहमत है क्योंकि इससे तो यह जांच रिपोर्ट अतिक्रमण साबित करती है न कि पट्टे को अवैध साबित करती है। अन्य जांच रिपोर्ट में उपखण्ड अधिकारी राशमी की जांच रिपोर्ट पत्रांक/958 दिनांक 17.06.2016 एवं तहसीलदार राशमी की जांच रिपोर्ट पत्रांक/ 98/2016 दिनांक 16.06.2016 में भी निर्माण स्थल एवं पट्टे के तथ्य को दौहराया गया है। इस जांच रिपोर्ट से यह पट्टा 24 वर्ष बाद किन आधारों पर खारिज किया जाय यह स्पष्ट नही होता है, ऐसी स्थिति में इतनी लम्बी अवधि बाद पेश की गई निगरानी को स्वीकार किये जाने हेतु कोई उचित आधार अथवा ठोस कारण साबित नही होने से स्वीकार नही की जा सकती है।

उपरोक्त विवरण एवं तथ्यों के आधार पर निगरानीकार द्वारा अपनी निगरानी साबित कराने में असफल रहा है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जाता है तथा ग्राम पंचायत सांखली पंचायत संमिति राशमी द्वारा जारी पट्टा संख्या 001566 दिनांक 13.06.1991 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

22/3/18

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ